134

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

R 419-I-17

संतोष तनय मूलचंद पटवा
निवासी लवकुशनगंर तह. लवकुशनगर
जिला छतरपुर .... आवेदक

विरूद्ध

..........अनावेदक

म.प्र.शासन

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित आवेदक न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्र 44/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 23/1/17 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि लवकुशनगर स्थित भूमि खसरा क्र 627/1 एंव 627/2 रकवा 1.510 हे. जो कि आबादी भूमि के अंश भाग पर आवेदक का अनाधिकृत कब्जा दर्शाते हुए आवेदक को बेदखल किए जाने एंव अर्थदण्ड से आरोपित किए जाने का विधि विपरीत आदेश विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया जिसके विरूद्व आवेदक द्वारा एक अपील अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि विपरीत किया गया है जिससे परिवेदित होकर आवेदक की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

3. यह कि, संहिता की धारा 248 के प्रावधान केवल शासकीय कृषि भूमि पर लागू होते है परंतु प्रकरण में वादग्रस्त भूमि आवादी भूमि है जिस कारण से संहिता की धारा 248 के प्रावधान प्रकरण में लागू नहीं होते है इस कारण से विचारण न्यायालय को आवेदक के विरूद्व धारा 248 के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने का

संतोष पटवा

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-419-एक/2017 जिला छतरपुर

संतोष विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
07-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 44/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 23-01-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छरतपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । 07/3/19 (आर.के.जैन) सदस्य	